

IN THE COURT OF DEPUTY COMMISSIONER, LOHARDAGA

Schedule XIV From No- 562

ORDER SHEET

The State of Jharkhand

(See Rules 129 of the Record Manual 1941)

V/s

Order sheet datedTo.....

Makshud Ansari

Case No- **12/24-25**

Nature of Case- **Confiscation**

U/S Rule 11(V) of the Jharkhand minirals (Prevention of illegal mining, Transportation And storage) Rule 2017,

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर					आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित												
1.	2.					3.												
12/12/24	<u>आदेश</u> यह Confiscation Case No- 12/24-25 राज्य सरकार बनाम 1. मकसुद अंसारी में पुलिस अधीक्षक, सेन्हा के पत्रांक 633/अप०शा० दिनांक 30.04.2024 एवं सेन्हा थाना काण्ड सं० 143/23 दिनांक 08.11.2023 के आलोक में धारा 379/411 भा०द०वि० एवं 21 खान एवं खनिज विकास तथा विनियमन तथा 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004 में अग्रेतर वाद दायर कर निम्नांकित वाहन को राजसात करने हेतु वाद प्रारम्भ किया गया है। <u>वाहन की विवरणी</u> <table><tr><th>क्र०</th><th>वाहन के प्रकार (मोडल नं०)</th><th>वाहन सं०</th><th>चेचिस नंबर</th><th>ईजन नंबर</th><th>मालिक का नाम/पता</th></tr><tr><td>01.</td><td>ACE कम्पनी का ट्रैक्टर मॉडल नं० 380 DL-854NG</td><td>JH02BF-6632</td><td>VBK850036429</td><td>A30TTAH0007662</td><td>मकसुद अंसारी, पे०- आजम अंसारी, सा०-चिरना ककरगढ़, थाना-कुडू, जिला-लोहरदगा।</td></tr></table> इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में दायर प्रकरण W.P.(C) 6788/2023, W.P.(C) 7531/2023 दायर किये गये थे। मामले में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में दायर प्रकार संख्या W.P.(C) 6788/2023, में M/S Aditya Enterprises Proprietorship firm बनाम सरकार W.P.(C) 7531/2023, सरुन कुमार वो ललन कुमार इन्दर Issues में उठाये गये मामले को स्वीकार कर लिया गया तथा इस प्रकार के मामले को दिनांक 22.07.2024 को पारित आदेश द्वारा Conanizance & confiscation, हेतु Judicial Magistrate first class को सक्षम माना गया है। तथा Rule 11(V) of the Jharkhand minirals(Prevention of illegal mining, Transportation And storage) Rule 2017, as ultra vires,					क्र०	वाहन के प्रकार (मोडल नं०)	वाहन सं०	चेचिस नंबर	ईजन नंबर	मालिक का नाम/पता	01.	ACE कम्पनी का ट्रैक्टर मॉडल नं० 380 DL-854NG	JH02BF-6632	VBK850036429	A30TTAH0007662	मकसुद अंसारी, पे०- आजम अंसारी, सा०-चिरना ककरगढ़, थाना-कुडू, जिला-लोहरदगा।	
क्र०	वाहन के प्रकार (मोडल नं०)	वाहन सं०	चेचिस नंबर	ईजन नंबर	मालिक का नाम/पता													
01.	ACE कम्पनी का ट्रैक्टर मॉडल नं० 380 DL-854NG	JH02BF-6632	VBK850036429	A30TTAH0007662	मकसुद अंसारी, पे०- आजम अंसारी, सा०-चिरना ककरगढ़, थाना-कुडू, जिला-लोहरदगा।													



any confiscation proceeding by the Deputy Commissioner of any District within the State of Jharkhand under the Rule is illegal and is without any authority of law and is beyond Jurisdiction घोषित किया गया है।

निर्णय

अतः माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रांची द्वारा W.P.(C) 6788/2023, एवं W.P.(C) 7531/2023, में दिनांक 22.07.2024 को पारित आदेश के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

उपायुक्त,
लोहरदगा।

उपायुक्त,
लोहरदगा।